

प्ररूप "क"  
(नियम 3 देखिए)  
कुटुम्ब पेंशन के लिए आवेदन

(छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6-ख देखिए)

प्रेषक :-

श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
.....  
.....

प्रति,

सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधान सभा,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7, सन् 1973) के अधीन कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
ने तारीख.....से.....तक, छत्तीसगढ़ विधान सभा 1 नवंबर, 2000 के  
पहले म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र.....क्रमांक.....का प्रतिनिधित्व  
किया। छत्तीसगढ़ विधान सभा के वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्य की उक्त अवधि के दौरान मृत्यु होने के कारण ऊपर निर्दिष्ट  
अधिनियम की धारा 6-ख के अधीन कृपया मुझे कुटुम्ब पेंशन मंजूर करने की कार्रवाई की जाए तथा मैं कुटुम्ब  
पेंशन .....स्थित सरकारी कोषालय से लेना चाहता हूं/चाहती हूं ।

(2) मैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारी/संसद या छत्तीसगढ़ विधान सभा  
के किसी आसीन सदस्य द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न करता  
हूं/करती हूं।

- (एक) अधोहस्ताक्षरी के तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिग्नेचर),
- (दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां,
- (तीन) मृत्यु प्रमाण पत्र,
- (चार) अन्य वारिसों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र
- (पांच) नातेदारी प्रमाण-पत्र,

(3) (क) मेरा वर्तमान पता.....है।  
(ख) मेरा स्थायी पता.....है।

(4) मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य  
है।

भवदीय,

स्थान : .....

दिनांक : .....

# विधान सभा सचिवालय, छत्तीसगढ़

## लेखा शाखा

क्रमांक / वि.स. / सदस्य लेखा / पेंशन

तारीख / / 20

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी.आर. 1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

**प्ररूप "ख"**  
**(नियम 5 (1) देखिए)**  
**कार्यालय महालेखाकार, छत्तीसगढ़**

क्रमांक / .....

तारीख / / 20

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....ने छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के रूप में..... से .....तक सेवा की थी, उसकी मृत्यु हो जाने के कारण ऊपर वर्णित कुटुम्ब पेंशन का भुगतान रुपये..... प्रतिमास उसकी मृत्यु की तारीख से आजीवन उसके वारिस श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को अनुज्ञेय है।

.....  
लेखा अधिकारी

**प्ररूप "ग"**  
**(नियम 4 देखिए )**  
**विधान सभा सचिवालय, छत्तीसगढ़**

क्र...../वि.स./ सदस्य लेखा/पेंशन

तारीख / / 20

श्री/श्रीमती/कुमारी..... की तारीख ..... से  
..... तारीख तक रुपये.....(रुपये .....केवल) प्रतिमास  
कुटुम्ब पेंशन मंजूर की जाती है। पेंशन .....कोषालय से देय होगी।

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी. आर. 1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर को अग्रेषित ।

सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्ररूप "घ"  
(नियम 5 (2) देखिए)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
श्री/श्रीमती/कुमारी.....(विधान सभा के पूर्व सदस्य) के पति / पत्नी  
/ पुत्र/पुत्री / माता / पिता है।

तहसीलदार / नायब तहसीलदार

तहसील.....

तारीख.....



प्ररूप "क"  
(नियम 3 देखिए)  
कुटुम्ब पेंशन के लिए आवेदन

(छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6-ख देखिए)

प्रेषक :-

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

प्रति,

सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधान सभा,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7, सन् 1973) के अधीन कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... ने तारीख..... से..... तक, छत्तीसगढ़ विधान सभा 1 नवंबर, 2000 के पहले म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र..... क्रमांक..... का प्रतिनिधित्व किया। छत्तीसगढ़ विधान सभा के वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्य की उक्त अवधि के दौरान मृत्यु होने के कारण ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 6-ख के अधीन कृपया मुझे कुटुम्ब पेंशन मंजूर करने की कार्यवाई की जाए तथा मैं कुटुम्ब पेंशन ..... स्थित सरकारी कोषालय से लेना चाहता हूं/चाहती हूं।

(2) मैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारी/संसद या छत्तीसगढ़ विधान सभा के किसी आसीन सदस्य द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न करता हूं/करती हूं।

- (एक) अधोहस्ताक्षरी के तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिग्नेचर),
- (दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां,
- (तीन) मृत्यु प्रमाण पत्र,
- (चार) अन्य वारिसों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र
- (पांच) नातेदारी प्रमाण-पत्र,

(3) (क) मेरा वर्तमान पता..... है।  
(ख) मेरा स्थायी पता..... है।

(4) मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है।

भवदीय,

स्थान : .....

दिनांक : .....

# विधान सभा सचिवालय, छत्तीसगढ़

## लेखा शाखा

क्रमांक / वि.स. / सदस्य लेखा / पेंशन

तारीख / / 20

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी.आर. 1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

**प्ररूप "ख"**  
**(नियम 5 (1) देखिए)**  
**कार्यालय महालेखाकार, छत्तीसगढ़**

क्रमांक / .....

तारीख / / 20

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....ने छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के रूप में.....से .....तक सेवा की थी, उसकी मृत्यु हो जाने के कारण ऊपर वर्णित कुटुम्ब पेंशन का भुगतान रुपये.....प्रतिमास उसकी मृत्यु की तारीख से आजीवन उसके वारिस श्री/श्रीमती/कुमारी .....को अनुज्ञेय है।

.....  
लेखा अधिकारी

**प्ररूप "ग"**  
**(नियम 4 देखिए )**  
**विधान सभा सचिवालय, छत्तीसगढ़**

क्र...../वि.स./ सदस्य लेखा/पेंशन

तारीख / . / 20

श्री/श्रीमती/कुमारी.....की तारीख .....से .....तारीख तक रुपये.....(रुपये .....केवल) प्रतिमास कुटुम्ब पेंशन मंजूर की जाती है। पेंशन .....कोषालय से देय होगी।

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी. आर. 1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर को अग्रेषित ।

सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्ररूप "घ"  
(नियम 5 (2) देखिए)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
श्री/श्रीमती/कुमारी.....(विधान सभा के पूर्व सदस्य) के पति / पत्नी  
/ पुत्र/पुत्री / माता / पिता है।

तहसीलदार / नायब तहसीलदार

तहसील.....

तारीख.....



प्ररूप "क"  
(नियम 3 देखिए)  
कुटुम्ब पेंशन के लिए आवेदन

(छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6-ख देखिए)

प्रेषक :-

श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
.....  
.....

प्रति,

सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधान सभा,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7, सन् 1973) के अधीन कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... ने तारीख.....से.....तक, छत्तीसगढ़ विधान सभा 1 नवंबर, 2000 के पहले म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र.....क्रमांक..... का प्रतिनिधित्व किया। छत्तीसगढ़ विधान सभा के वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्य की उक्त अवधि के दौरान मृत्यु होने के कारण ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 6-ख के अधीन कृपया मुझे कुटुम्ब पेंशन मंजूर करने की कार्रवाई की जाए तथा मैं कुटुम्ब पेंशन .....स्थित सरकारी कोषालय से लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ ।

(2) मैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारी/संसद या छत्तीसगढ़ विधान सभा के किसी आसीन सदस्य द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न करता हूँ/करती हूँ।

- (एक) अधोहस्ताक्षरी के तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिग्नेचर),
- (दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो की तीन प्रतियाँ,
- (तीन) मृत्यु प्रमाण पत्र,
- (चार) अन्य वारिसों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र
- (पांच) नातेदारी प्रमाण-पत्र,

(3) (क) मेरा वर्तमान पता.....है।  
(ख) मेरा स्थायी पता.....है।

(4) मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है।

भवदीय,

स्थान : .....

दिनांक : .....

# विधान सभा सचिवालय, छत्तीसगढ़

## लेखा शाखा

क्रमांक /वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन

तारीख / /20

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी.आर. 1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

**प्ररूप "ख"**  
**(नियम 5 (1) देखिए)**  
**कार्यालय महालेखाकार, छत्तीसगढ़**

क्रमांक / .....

तारीख / / 20

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....ने छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के रूप में.....से .....तक सेवा की थी, उसकी मृत्यु हो जाने के कारण ऊपर वर्णित कुटुम्ब पेंशन का भुगतान रुपये.....प्रतिमास उसकी मृत्यु की तारीख से आजीवन उसके वारिस श्री/श्रीमती/कुमारी .....को अनुज्ञेय है।

.....  
लेखा अधिकारी

**प्ररूप "ग"**  
**(नियम 4 देखिए )**  
**विधान सभा सचिवालय, छत्तीसगढ़**

क्र...../वि.स./ सदस्य लेखा/पेंशन

तारीख / / 20

श्री/श्रीमती/कुमारी.....की तारीख .....से .....तारीख तक रुपये.....(रुपये .....केवल) प्रतिमास कुटुम्ब पेंशन मंजूर की जाती है। पेंशन .....कोषालय से देय होगी।

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी. आर. 1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर को अग्रेषित ।

सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्ररूप "घ"  
(नियम 5 (2) देखिए)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
श्री/श्रीमती/कुमारी.....(विधान सभा के पूर्व सदस्य) के पति / पत्नी  
/ पुत्र/पुत्री / माता / पिता है।

तहसीलदार / नायब तहसीलदार

तहसील.....

तारीख.....